न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–214/2014 (2014/00138)223/दूदू

1. शंकर पुत्र गोपाल
2. हनुमान पुत्र गोपाल
3. कैलाश पुत्र गोपाल
4. सीताराम पुत्र रामदेव जाति खाती, निवासी धमाणा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र सुगना
2. मोहन पुत्र सुगना
3. घीसी बेवा सुगना जाति खाती, निवासी धमाणा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
4. ग्यारसा पुत्र रामदेव जाति खाती, निवासी धमाणा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
5. गिरधारी पुत्र रामेदव जाति खाती, निवासी दांतरी तहसील दूदू जिला जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मौजमाबाद

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2006, वाद संख्या 13/2001 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, दूदू।

उपस्थितः–

1. श्री शंकरलाल चौधरी एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़ एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 5 की ओर से ।
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से ।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2019

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2006, राजस्व वाद संख्या 13/2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 के पिता गोपाल व अपीलांट संख्या 4 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्व एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय दूदू के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी मौरूसी आराजीयात एंव संयुक्त कयशुदा आराजी ग्राम धमाणा तहसील मौजमाबाद मे खाता संख्या 20 के खसरा संख्या 131 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 132 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा एंव 164/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी संयुक्त परिवार की आय से स्व. रामदेव ने क्रय कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया था जिसका मौके पर मनबंट बंटवारा कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वादीगण एंव प्रतिवादीगण बराबर–बराबर 1/5, 1/5 हिस्से पर काश्त कर रहे है। इस प्रकार वाद पत्र मे अंकित आराजीयात संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गयी आराजीयात है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि के 1/5 हिस्से के घोषणा करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार निवेदन किया कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे तथा वादीगण को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अपने हिस्से मे आई आराजीयात का तकासमा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये। दिनांक 15–07–2002 को प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 व 5 की तामील मानते हुऐ उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा दिनांक 19–08–2002 को प्रतिवादी संख्या 1 ग्यारसा पुत्र रामदेव ने दिनांक 28–01–2003 को अपनी ओर से जवाबदावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. मे प्रावधित प्रावधानो को अनदेखा करते हुए तथा वर्तमान अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 के पिता गोपाल पुत्र रामदेव व वर्तमान अपीलांट संख्या 4 सीताराम पुत्र रामदेव की बिना तामील हुए ही एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा वर्तमान अपीलांटस को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित सुनवाई का अवसर नही दिया तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31–03–2006 को वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण वाद प्राथमिक डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2006 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 3, 5, व 6 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 4 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

04. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2006 की जानकारी अपीलांट सख्या 01 से 3 के पिता गोपाल पुत्र रामदेव व अपीलांट संख्या 04 सीताराम पुत्र रामदेव को नही थी। अपीलांटस को जवाब दावा प्रस्तुत करने एवं अपने बयानो से सिद्ध करवाने का अवसर नहीं मिला। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने जो 1:5 हिस्से की प्रार्थना की वह गलत है क्योंकि रामदेव के 5 पुत्र सुगनलाल, ग्यारसा, गिरधारी, गोपाल व सीताराम हुए जिनमें से गिरधारी पुत्र रामदेव ग्राम दांतरी तहसील दूदू में निवास करने लगा तब से ही वहॉ की सम्पूण आराजी गिरधारी पुत्र रामदेव को दे दी गई जिस पर वह काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। गिरधारी पुत्र रामदेव प्रस्तुत वाद मे अंकित आराजीयात बाबत् किसी तरह का कोई हक व अधिकार नही रखता हैं। इस प्रकार धमाणा मे स्थित सम्पूर्ण आराजी पर केवल मात्र चार पुत्रों अर्थात सुगनलाल, ग्यारसा, गोपाल व सीताराम अर्थात 1/4–1/4 हिस्से की डिक्री पारित होनी चाहिए थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने वर्तमान अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर तथा प्रतिवादी संख्या 02 गिरधारी पुत्र रामदेव के इकबाली जवाबदावे पर विश्वास करते हुए विवादित आराजी बाबत् 1/5, 1/5 हिस्से बाबत् निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2006 कर दी, जो निरस्त योग्य हैं।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2006 पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया है कि जब उन्होने प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर कुल 10 तनकीयात कायम की थी तो तनकी संख्या 6 से 9 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर रखा गया था। वाद पत्र में सम्पूर्ण कथन काल्पनिक कथन काल्पलिनक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. की अवहेलना करते हुए तनकी वाईज निर्णय पारित नहीं किया तथा वर्ततान अपीलांट संख्या 01 से 03 के पिता गोपाल पुत्र रामदेव व अपीलांट संख्या 04 सीताराम पुत्र रामदेव को अपना जवाब

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

एवं पक्ष रखते हुए सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया तथा उनके विरूद्ध प्रचलित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2006 पारित किया है जो विधि सम्मत नही है। अतः न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2006 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें कि वे अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत हैं। विवादित भूमियॉ सन् 1961,1962, व 1965 में खरीदी गई थी। निर्वाचक निमावली हाउस डायरी (प्रदर्श पी–1)जो दिनांक 13.05.1971 को तैयार की गई थी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण संख्या 01 से 04 का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में रहता था जिसके मुखिया रामदेव पुत्र जगन्नाथ थें प्रतिवादी सख्या 2 गिरधारी पुत्र रामदेव के जवाब दावा से भी वादीगण के कथनो की पुष्टि हुई हैं। वादीगण की ओर से करवाये गये बयानो से भी यह पुष्टि होती है कि विवादित आराजी के खरीदने के समय पक्षकारान का एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार था तथा रामदेव के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र ग्यारसा ही बालिग था तथा शेष पुत्र नाबालिग थें। विवादित भूमि के खरीद के समय ग्यारसा की उम्र लगभग 19–20 वर्ष होना वाद पत्र के अभिवचानों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रमाणित होता हैं। विवादित आराजी भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा निहित था। इसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किये हैं विधि सम्मत है। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हमे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया हैं वह गलत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस /प्रतिवादीगण की प्रॉपर तामील हुई इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही की है। जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी करने मे कोई विधिक त्रुटि कारित नही की हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।6.

6. सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जो आदेश पारित किये गये वो एक तरफा आदेश पारित किये गये हैं इसलिए संभवता इसकी जानकारी अपीलांटस को नहीं हुई हों। अपील में देरी होने बाबत् अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया हैं। न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

7. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट को अपील में यह साबित करना था कि विवादित भूमि में से गिरधारी पुत्र रामदेव का हिस्सा निहित नही हैं तथा गिरधारी पुत्र रामदेव को विवादित आराजी में से ग्राम दांतरी तहसील दूदू की आराजी अलग से दे दी गई इस बाबत् भी कोई राजस्व सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलांटस/प्रतिवादीगण की अधीनस्थ न्यायालय में प्रॉपर तामिल हुई, अपीलांटस/ प्रतिवादीगण बाद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए इसलिए एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण प्रॉपर तनकीयात कायम कर, तनकीयात का विस्तृत विवेचन कर, पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री जो विधि सम्मत हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने में किसी प्रकार त्रूटि कारित नहीं की है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पायी जाती हैं।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2006 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

09. आदेश आज दिनाक 31.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर